उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग।

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक .... /रा0

प्रेषक,

उपायुक्त,
हजारीबाग।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
पश्चिमी वन प्रमण्डल,
हजारीबाग।

हजारीबाग, दिनांक .... /2015

0/c

विषय :— राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत 11 के0भी0 चौपारण–चोरदाहा ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 11 के0वी0 ट्रासमिशन लाईन निर्माण (चौपारण से चोरदाहा) हेतु अंचल अधिकारी, चौपारण के पत्रांक 116 दिनांक 13.02.2015 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्रखण्ड चौपारण के ग्राम–साँढ़ा, केन्दुआही उर्फ दनुआ, अहरी, सिलोदर, मुर्तिया कला, ...विलास, चोरदाहा, बिगहा, चौपारण एवं डोमाडाँडे का कुल रकवा–23.4822 हेक्टेयर वन भूमि में वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विहित प्रमाण–पत्र "प्रपत्र–1" में अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है।

अतः कुल रकवा 23.4822 हेक्टेयर का वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अंचल अधिकारी, चौपारण से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
उपायुक्त, हजारीबाग।

ज्ञापांक ......823...... /रा0 हजारीबाग, दिनांक ...16.3...... /2015

प्रतिलिपि :—
1. प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हजारीबाग को उनके पत्रांक 1755 दिनांक 19.08.2014 एवं पत्रांक 1756 दिनांक 19.08.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. अधीक्षण अभियंता, दामोदर घाटी निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, हजारीबाग।

ज्ञापांक 545 वि0 का0 अ0 / हजारीबाग दिनांक 25/03/15
प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता R.E.P – DVC हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

25.3.15

विद्युत कार्यपालक अभियन्ता
विद्युत आपूर्ति ...

Form-1
(For linear project)

Office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh.

Memo No. ....823...../R. Dated .16.3-....../2015

To whomsoever it may concern

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that area **23.4822 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited** *(Name of user agency)* ~~for Under RGGVY 11 KV transmission line~~ **(Chouparan to Chordaha)** (purpose for diversion of forest land) in **Hazaribagh** District falls within jurisdiction of **Chouparan Anchal area of 23.4822 hectare in Villages Sanjha, Kenduahi alias Danua, Ahri, Silodar, Murtiyakala, Kavilas, Chordaha, Bigha, Chouparan and Demodande.**

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 23.4822 hectares of forest area proposed for diversion. ~~A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(a), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed an annexure ...... to ..... annexure .....~~

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed ~~and the Gram Sabha have given their consent to it;~~

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

16/3/15

Deputy Commissioner,
Hazaribagh.

उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग।

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक ..... / रा0

प्रेषक,

उपायुक्त,
हजारीबाग।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
पश्चिमी वन प्रमण्डल,
हजारीबाग।

हजारीबाग, दिनांक ..... / 2015

विषय :— राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत 11 के0भी0 चौपारण—चोरदाहा ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 11 के0वी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण (चौपारण से चोरदाहा) हेतु अंचल अधिकारी, चौपारण के पत्रांक 131 दिनांक 23.02.2015 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्रखण्ड चौपारण के ग्राम—ताजपुर का कुल रकवा—0.476 हेक्टेयर वन भूमि में वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विहित प्रमाण—पत्र "प्रपत्र—1" में अनापत्ति प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराया गया है।

अतः कुल रकवा 0.476 हेक्टेयर का वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अंचल अधिकारी, चौपारण से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

संलग्नक — यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/—
उपायुक्त, हजारीबाग।

ज्ञापांक 915 / रा0 हजारीबाग, दिनांक 24/3 / 2015

प्रतिलिपि :—1. प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हजारीबाग को उनके पत्रांक 1755 दिनांक 19.08.2014 एवं पत्रांक 1756 दिनांक 19.08.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. अधीक्षण अभियंता, दामोदर घाटी निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, हजारीबाग।

Form-1
(For linear project)

Office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh.

Memo No. ......915......../R.

Dated ...24.../...03.../2015

To whomsoever it may concern

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that area **0.476 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited** *(Name of user agency)* for **Under RGGVY 11 KV transmission line (Chouparan to Chordaha)** (purpose for diversion of forest land) in **Hazaribagh** District falls within jurisdiction of **Chouparan Anchal area of 0.476 hectare in Village Tajpur.**

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.476 hectares of forest area proposed for diversion. ~~A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(a), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed an annexure ...... to ..... annexure .....~~

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed ~~and the Gram Sabha have given their consent to it;~~

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Deputy Commissioner
Hazaribagh.